THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL

THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

डा0 भीमराव अंबेडकर एवम् उनकी सामाजिक यात्रा

कृष्णपाल
रिसर्च स्कॉलर (शिक्षा शास्त्र)
श0 म0 पा0 रा0 सना0 महा0, मेरठ
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

डा0 मंजू रानी
असिस्टेंट प्रोफेसर
श0 म0 पा0 रा0 सना0 महा0, मेरठ
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांश **(Abstract)**

डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता और सुधारक ने अपने जीवन का अधिकांश समय भारत में जाति आधारित असमानता के खिलाफ संघर्ष करने और एक समतामूलक समाज (समता समाज) की स्थापना के लिए समर्पित किया। उनके विचार और कार्य, विशेष रूप से शिक्षा और सामाजिक उत्थान के क्षेत्रों में, भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। डॉ अंबेडकर ने शिक्षा को समाज में समानता स्थापित करने और जाति आधारित असमानताओं को समाप्त करने का एक प्रमुख साधन माना। उनका जीवन दलित और अन्य वंचित वर्गो के उत्थान के लिए समर्पित रहा। यह शोध प्रस्ताव डा0 अंबेडकर द्वारा की गई सामाजिक उत्थान की पहल का गहन विश्लेषण करने का उद्देश्य रखता है। डॉ. अंबेडकर ने भारत में जाति–आधारित असमानताओं को समाप्त करने और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जीवनभर संघर्ष किया। वह धर्म को मानव अस्तित्व के लिए एक आवश्यक और अपरिहार्य घटक मानते थे। उनका दृढ विश्वास था कि एक सामाजिक शक्ति के रूप में धर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार ''धर्म कोई अफीम नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इसे मानते हैं। मुझमें जो भी अच्छी बातें है या मेरी शिक्षा से समाज को जो भी लाभ हुए हैं, वे मेरे अंदर की धार्मिक भावनाओं के कारण हैं। मैं धर्म तो चाहता हूं लेकिन धर्म के नाम पर पाखंड नही चाहता।'' यह सोच अथवा विचार उन प्रमुख घटनाओं को सामने लाने का प्रयास करता है जिन्होनें उनके जीवन दर्शन को एक नया आकार दिया। जिन लोगों से उनका सामना हुआ और जिनसे वे प्रभावित हुए। मानवाधिकारों के लिए डॉ. अंबेडकर ने अपनी शक्तिशाली कलम को बंदूक के रूप में, अपनी बुद्धि को गोलियों के रूप में और अपने सरल और गरीब लोगों को सेना के रूप में इस्तेमाल किया। सामाजिक न्याय उनके आंदोलन की आधारशिला थी। वे मानवाधिकारों के अग्रदूत थे। उनका जीवन रूढ़िवादी समाज के विरूद्ध उनके अथक संघर्ष की गाथा है। डॉ. अंबेडकर ने न तो भाग्य से और न ही संयोग से, बल्कि अपने व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग, निःस्वार्थता, समर्पण, भक्ति और प्रतिबद्धता के बल पर गौरव का शिखर प्राप्त किया।

बीज शब्दः *अंबेडकर, सामाजिक यात्रा, बहिष्कृत, वर्ण व्यवस्था, सविधान प्रारूप।*

प्रस्तावना : डा0 भीमराव अंबेडकर एवम् उनकी सामाजिक यात्रा

बाबा साहब अंबेडकर को एक असाधारण पुरूष के रूप में जाना जाता है। इनको एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पहचान मिली है जिसने जीवन भर दृढ़ता के साथ सामान्य जन के लिये संघर्ष जारी रखा, और अपनी आवाज को लोगों के बीच बुलंद करते रहे, साथ ही समाज को भी विकास के पथ पर ले जाने में अपनी अहम भूमिका से सबको परिचित कराया। यह वीर पुरूष सामाजिक समता के ध्येय प्राप्ति हेतु सुख–दुख, मान अपमान, आंधी तुफान आदि की परवाह किये बिना अपनी सामाजिक यात्रा के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की वकालत करने का प्रयास करता रहा, जिसमें किसी व्यक्ति का दर्जा उसकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर निर्धारित किया जा सके। उन्होनें देश में सामाजिक रूप से दलित और आर्थिक रूप से शोषित व्यक्तियों के साथ

तरजीही व्यवहार की वकालत करने के साथ साथ शोषित वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिये शिक्षा और सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोगी माना। एक तर्कवादी और मानवतावादी के रूप में उन्होनें किसी भी प्रकार के अन्याय या शोषण की निंदा की। उन्होनें अपना जीवन भारत में सामाजिक न्याय और हाशिये पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के लिये समर्पित कर दिया।

भारतीयों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिन्दुओं की प्रवक्ता, हिन्दू महासभा द्वारा सर्वहारा समाज की उन्नति के लिये एक केन्द्रीय संस्था को स्थापित करने का फैसला डा0 भीमराव अंबेडकर ने लिया था, और बाबा साहब के प्रयासों से 20 जुलाई 1924 में *बहिष्कृत हितकारिणी* नामक सभा अस्तित्व में आयी, जिसको कि 1860 के कानुन के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया गया था। सामाजिक बदलाव और बेदखल किये गये व्यक्तियों के लिये बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य वैसे ही थे जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है। इस सभा ने अपने मन्तव्यों को सर्वहारा समाज के सामने रखते हुये कुछ उद्देश्यों का रखा जैसे –

- दलित समाज में शिक्षा प्रसार के लिये विभिन्न उपायों और साधनों को उपलब्ध कराना व छात्रावास की सुविधा देना।
- दलित समाज के व्यक्तियों के जीवन में आने वाली समस्याओं को जानकर शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- औद्योगिक तथा कृषि विद्यालयों/संस्थाओं द्वारा दलित समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना एवम् उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- पिछड़े वर्गों में सभ्य जीवन प्रसार हेतु पुस्तकालय, वाचनालय, सामाजिक सेवा केंद्र तथा अध्ययन केंद्र स्थापित करना।

इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष सर चिमनलाल, हीरालाल सीतलबाड़ थे। संस्था की प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष डा0 भीमराव अंबेडकर स्वयं ही थे। उन दिनों कुछ अन्य संस्थायें और समाज सुधारक जो कि सवर्ण थे, के द्वारा भी सामाजिक बुराइयों के निराकरण हेतु बहुत से प्रयास किये जाने आरम्भ हो चुके थे। उनका असवर्णों के हित में कार्य करने का अपना एक अलग ढंग था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होते ही असवर्णों में बदलाव देखा गया जैसे कि उनमें स्वाभिमान का संचार होने लगा हो। 04 जनवरी 1925 में इस सभा ने असवर्णों/पिछड़ों विद्यार्थियों हेतु एक छात्रावास का आरम्भ किया, जिसके माध्यम से उन्हें भोजन, कपड़ा व किताबें आदि सभी संस्था की और से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाने लगा। अप्रैल 1926 में जियुदी नामक गॉव में एक सभा को संबोधित करते हुये डा0 भीमराव अंबेडकर ने असवर्णों को सुझाव दिया कि उन्हें सरकार से अपनी बस्तियों के लिये जगह की मॉग करनी चाहिये। इस प्रकार अनेकों मुद्दों के मद्देनजर इस सभा को क्रियात्मक रूप से निरंतर विस्तार दिया जा रहा था। यह सभा डा0 अंबेडकर कों देश के कोने कोने तक असवर्णों/संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचने का माध्यम बन रही थी। इस प्रकार से सर्वहारा वर्ग में जीवन के प्रति मोह एवम् स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती जा रही थी। सन् 1927 में इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कुलावा के दलितों ने मार्च में महार नामक क्षेत्र में एक कान्फ्रेंस की योजना बनाई। इस कान्फ्रेंस में डा0 भीमराव अंबेडकर ने आव्हान किया कि अगर जीवन में उन्नति करना है तो हमें अपने विचारों से सुसंस्कृत होना होगा। हमारी उन्नति की

राह में निरन्तरता तभी आ सकती है जब अपने में हम स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करें और स्वयं को जानें व पहचानें।

डा0 भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े वर्गों को सेना व पुलिस भर्ती के लिये संघर्ष करने के लिये भी प्रेरित करते हुये जनसामान्य से आव्हान किया कि उन माता पिता और पशुओं में कोई अन्तर नहीं है जो अपनी संतान को अपने से बेहतर स्थिति में देखने की इच्छा नहीं रखते। इस प्रकार डा0 भीमराव अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से तत्कालीन कुरीतियों, कुप्रथाओं आदि की दीवारों को तोड़ते हुये मानव मानव में समता की भावना का निर्माण करते हुये अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार डा0 भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से शोषितों व दलितों को संगठित होने का उद्घोष ही नहीं किया, बल्कि विश्व समाज के उन सभी अधिकारों से वंचित लोगों के लिये संगठन का आधार निर्मित्त किया। साथ ही यह संदेश भी लोगों के मध्य दिया कि प्रत्येक जन हेतु समाज में प्रगति व उन्नति हेतु द्वार खोलने के लिये प्रयासरत् रहना होगा, और अपने मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिये संघर्ष करना आपका कर्त्तव्य होना चाहिये। यदि आप लोग स्व कर्त्तव्य पालन में पीछे रहते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन सब में संलग्न होने की वजह से डा0 भीमराव अंबेडकर के नाम, यश तथा बुद्धिमता व योग्यता की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। इन घटनाओं ने इन्हें सर्वहारा समाज का निर्विवाद नेता बना दिया। मार्च 1928 में तेजस्वी एवं मनष्वी डा0 अंबेडकर ने बेगार प्रथा के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अगस्त 1928 में उन्होनें विधान सभा में बेगार प्रथा के खात्में के लिये बिल पेश किया। इस तरह बहिष्कृत हितकारिणी सभा के कार्यकलाप और अछूतों में सामाजिक क्रांति की लहर समुद्र के ज्वार की तरह उठती चली गयी। इसके पश्चात डा0 भीमराव अंबेडकर द्वारा सामाजिक चेतना जाग्रत करने के लिये बहिष्कृत हितकारिणी सभा के गठन के पश्चात शोषितों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिये जुलाई 1928 में *डिप्रेस्ड क्लासिस शिक्षा सोसाइटी* की स्थापना की गई। इस सोसायटी को 1861 के अनुच्छेद 21 के अधीन पंजीकृत कराया गया था। डा0 अंबेडकर ने इस अभियान को कार्यरूप देने के लिये डिप्रेस्ड क्लासिस शिक्षा सोसाइटी को जन्म देकर दलित वर्गों के मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिये एक सुदृढ मंच स्थापित किया। अपने द्वारा चलाये गये किसी भी आंदोलन को डा0 अंबेडकर ने जीवन भर शिथिल नहीं होने दिया था। उन्होनें सेना तथा पुलिस में अछूतों की भर्ती की मांग तो की ही साथ ही पंजाब में लैण्ड एलीवेशन एक्ट को रद्द करने की मांग भी की। मई व जून 1929 में डा0 अंबेडकर ने बम्बई में "समाज समता संघ", "समता सैनिक संघ" की भी स्थापना की, ताकि भारत विश्व में एक आदर्श राष्ट्र के रूप में उजागर हो।

वास्तव में मानव, समाज में जो देखता है वैसा ही उसका चिंतन हो जाता है और वह अपना दृष्टिकोण समाज के सामने प्रस्तुत करता है, इसी को ध्यान में रखते हुये भारतीय समाज सुधारकों ने भारतीय समाज के बारे में चिंतन करके अपना दर्शन विकसित किया। उपरोक्त दृष्टि से देखा जाये तो भारत के समाज सुधारकों को दो भागों में बांटा जा सकता है – एक वर्ग वह जो कि मूल समाज की वर्ण व्यवस्था में बदलाव चाहता था और जिसका मानना था कि यह व्यवस्था समय के साथ बदल जानी चाहिये। जबकि दूसरा वर्ग पहली वाली व्यवस्था को कायम रखते हुये समाज में सुधार चाहता था। डा0 अंबेडकर ने इस संबंध में वर्णवाद के प्रतिरोध में जो तर्क दिये, वह अन्य समाज सुधारकों से भिन्न थे। वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भिक रूप कुछ भी हो, कालान्तर में

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

वह जन्म पर आधारित हो गई। डा0 अंबेडकर का मानना था कि वर्णभेद ने सार्वजनिक भावना को आहत किया है और सद्गुणों का दबा दिया है। डा0 अंबेडकर ने गीता द्वारा जन्मजात गुणों के आधार पर प्रतिपादित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का भी खंडन किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गीता ने यह दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया।

वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध डा0 अंबेडकर का संघर्ष :–

जिस वर्ण व्यवस्था के विरूद्ध डा0 अंबेडकर के संघर्ष की बात की जाती है वास्तव में यह वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में पारम्परिक हिंदू समाज के भीतर एक सामाजिक वर्ग को संदर्भित करता है। यह विचार मनुस्मृति ग्रंथ में पाया जाता है, जो कि चारों वर्णों का वर्गीकरण व वर्णन करता है। साथ ही इसमें उनके व्यवसायों, कर्त्तव्यों के साथ धर्म का भी निर्धारण है। इसको एक प्रकार की सामाजिक रैंकिंग कहा जा सकता है। यह वर्ण शब्द ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। मनुस्मृति में वर्ण का तात्पर्य चार सामाजिक वर्गों से है। यदि हम वर्ण व्यवस्था के उद्देश्य को जानने का प्रयास करें तो इसका उद्देश्य समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को वितरित करने से है। हम जानते हैं कि व्यक्ति, समाज में जो देखता है, वह उसी पर चिंतन करके अपना दृष्टिकोण समाज के सामने प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज के बारे में भारतीय समाज सुधारकों ने भी चिंतन करके अपना दर्शन विकसित किया। इसी कड़ी में डा0 अंबेडकर ने वर्णवाद के प्रतिरोध में जो भी अपने तर्क दिये हैं वे सम्भवतः अन्य समाज सुधारकों से अलग हैं। डा0 अंबेडकर ने केवल वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का ही गंभीरता से अध्ययन नहीं किया, बल्कि वर्ण व्यवस्था व उसके मूल को भी समझा। यह वैदिक व्यवस्था गुणकर्मानुसार थी। इसमें चारों वर्णों में रोटी बेटी का व्यवहार होता था। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा दीक्षा देना था। क्षत्रियों का कार्य समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना था, इसके साथ ही उनको देश हित में देश की रक्षा का कार्य भी सौंपा गया था। वैश्यों का काम व्यापार तथा कृषि को संभालना था, व शुद्रों का कार्य इन वर्णों की सेवा करना था। अंबेडकर के अनुसार इस व्यवस्था को केवल श्रमिकों का विभाजन ही नहीं बल्कि श्रमिकों का श्रेणीबद्ध पदानुक्रम माना गया, जो कि जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था में अधिकारों की अपेक्षा कर्त्तव्यों पर अधिक बल दिया गया था। वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भिक रूप कुछ भी हो लेकिन कालान्तर में वह जन्म पर आधारित हो गयी। डा0 अंबेडकर का मानना था कि यह जो वर्णभेद समाज में व्याप्त है, इसका पूर्ण रूप से अस्तित्व मिटे बिना इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार इस वर्णभेद ने सार्वजनिक भावना को आहत किया है। डा0 अंबेडकर ने गीता द्वारा जन्मजात गुणों के आधार पर प्रतिपादित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का खंडन किया था, अतः ऐसा माना जाता है कि गीता ने यह दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, और सांख्य दर्शन में यह माना गया है कि मनुष्य जाति के सभी मानसिक एवम् शारीरिक गुण मूलतः तीन गुणों सत्, रज व तम की अभिव्यक्तियॉ हैं। इन तीनों गुणों में निरंतर परस्पर संघर्ष एवम् परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में जो कि प्रकृति का ही अंगमात्र है, निरन्तर परिवर्तन की संभावना है। अतः डा0 अंबेडकर के अनुसार चूंकि प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं इसलिये मनुष्य के स्वभाव में भी परिवर्तन अनिवार्य है। डा0 अंबेडकर का यह दृढ़ मत था कि जाति एवम् छुआछूत की जननी वर्णव्यवस्था है। अतः इसमें यदि बदलाव आ जाये तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है, उनके अनुसार इसका

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

एक उपाय अंतरजातीय विवाह था, इससे ही स्वजन तथा मित्र होने की भावना उत्पन्न करके समस्या का हल निकाला जा सकता है।

दलितों व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता :–

डा0 अंबेडकर को महिलाओं की उन्नति का प्रबल पक्षधर माना जाता है। उनका विचार था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? संसार में आधी आबादी महिलाओं से है इसलिये जब तक उनका चहुंमुखी विकास नहीं हो जाता तब तक कोई भी समाज या देश अपना विकास नहीं कर सकता। डा0 अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिये उन्हें संगठित करने के लिये उनका निरन्तर उत्साहवर्धन किया और कहा कि महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होनें वायसराय की कार्य परिषद में महिलाओं के लिये प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की। उनकी भूमिका को हम संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में देखते ही हैं। संविधान में सभी को बराबर का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि 1947 में आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होना आरम्भ होने लगा था। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में महिला सशक्तीकरण के लिये उनके द्वारा अनेकों कदम उठाये गये थे। सन् 1951 में उन्होनें "हिंदू कोड बिल" संसद में पेश किया था। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैत्रक संपति में बराबरी के हिस्से की बात की जायेगी, और समान अधिकार दिये जायेगें। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। वयस्क मताधिकार भी डा0 अंबेडकर का ही विचार था जिसके लिये सन् 1928 में साइमन कमीशन से लेकर बाद तक की लड़ाई लड़ी। इसका उस समय विरोध किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय युरोप में महिलाओं और अमेरिका में अश्वेतों को मताधिकार देने पर बहस चल रही थी। डा0 भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन भर दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिये संघर्ष किया और उन्हें समाज में समानता और न्याय दिलाने के लिये कई कदम उठाये। उनकी सामाजिक जागरूकता और समर्पण ने इस वर्ग के लिये उम्मीद की किरण को बरकरार रखा था। उनका कहना था कि कोई भी समाज सही दृष्टि में तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाओं के समान अधिकार को महत्व दिया जाये। वे महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति अधिकार और सामाजिक स्थिति के पक्षधर थे। उन्होनें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिये ही *'हिंदू कोड बिल'* का समर्थन किया था। इस बिल के अंतर्गत महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह में समानता का अधिकार दिया गया था। इसके साथ साथ डा0 अंबेडकर ने महिलाओं को शिक्षा की महत्वता समझाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये भी निरन्तर प्रेरित किया। उनका मानना था कि अगर महिलायें शिक्षित होंगी तो वे समाज में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। डा0 अंबेडकर का यह स्पष्ट विचार था कि समाज में समानता तब तक संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उनके योगदान और संघर्ष ने भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी। उन्होनें विवाह में समानता हेतु महिलाओं को विवाह में बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। यह बिल महिला अधिकारों के सुधार की दिशा में एक एतिहासिक कदम था। इसी के जरिये डा0 अंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। अंबेडकर ने सामाजिक रूढ़िवादिता को

चुनौती दी और कहा कि महिलाओं को उनका सम्मान और अधिकार मिलना चाहिये। इसके साथ ही अंबेडकर ने अस्पर्शयता और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होनें अस्पर्शयों के लिये अलग से विद्यालयों की स्थापना की, और उनके लिये सामाजिक आंदोलन चलाया। संविधान में अस्पर्शयता को समाप्त करने के लिये प्रावधान किये और इसे कानूनन अपराध घोषित किया। वे मानते थे कि रोजगार की उपलब्धता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोजगार न होने से व्यक्ति खाली रहता है और इससे अनावश्यक विचार जन्म लेते हैं जो कि अनेकों बुराइयों को जन्म देते हैं। उन्होनें दलितों के लिये आरक्षण की भी जोरदार वकालत की, क्योंकि वे यह मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिये खास प्रावधानों की आवश्यकता है। इसलिये उन्होनें आरक्षण को एक तात्कालिक उपाय के रूप में देखा, जिससे कि दलित समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर बराबरी के अवसर मिल सकें। डा0 अंबेडकर ने दलितों के लिये विशेष रूप से शिक्षा में आरक्षण की वकालत की ताकि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से दलितों को समान अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त डा0 अंबेडकर ने दलितों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिये भी आरक्षण की वकालत कीं उनका मानना था कि जब तक राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। डा0 अंबेडकर ने आरक्षण को स्थायी समाधान नहीं माना था बल्कि इसको उन्होनें इसको एक अस्थायी उपाय के रूप में देखा। डा0 अंबेडकर ने 1932 में *'चौरा आंदोलन'* और ***पूना पैक्ट*** के माध्यम से दलितों के लिये आरक्षण की मांग उठाई। यह समझौता ब्रिटिश सरकार के साथ हुआ था और इसके अंतर्गत अंबेडकर ने दलितों के लिये अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। दलितों को अलग निर्वाचक मंडल की जगह संविधान में आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ। इस समझोते के बाद ही संविधान सभा में दलितों के लिये आरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 16 के माध्यम से डा0 अंबेडकर ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। डा0 अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 को भी डाला ताकि अछूतता का उन्मूलन हो सके। डा0 अंबेडकर ने यह भी सुनिश्चित किया कि दलितों का राजनैतिक प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। उन्होनें आरक्षण को राजनैतिक अधिकारों तक विस्तारित किया ताकि दलित समाज की आवाज को संसद और विधानसभा में उचित स्थान मिल सके। डा0 अंबेडकर का यह दृष्टिकोण और उनके द्वारा किये गये प्रयास आज भी भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के लिये मार्गदर्शक बने हुये हैं।

सन्दर्भ :–

- https://www.prabhatbooks.com/dr-ambedkar-jeevan-darshan.htm
- https://gshindi.com/category/general/dao-amabaedakara-jaivana-darasana
- https://www-jagranjosh-com.translate.goog/general-knowledge/br-ambedkar
- https://testbook.com/articles-in-hindi/dr-bhimrao-ambedkar-biography-in-hindi

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 1 January-March: 2025

- https://barti.in/upload/Library/Writing_and_Speeches_Volume/Dr.%20Babasaheb%20Ambedkar
- अंबेडकर, बाबा साहेब, "बहिष्कृत भारत एवम् मूकनायक" (2008) उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग महाराष्ट्र शासन प्रकाशन, मुंबई
- राजकिशोर (सं0) "हरिजन से दलित तक" (2008) वाणी प्रकाशन, दरिया गंज नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 5
- करीम शबाना, "डा0 भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व एवम् विचार", आर पी पब्लिकेशन, मेरठ। आई एस बी एन 988177893604
- पुजारी, विजय कुमार,(2022) "डा0 अंबेडकर जीवन और दर्शन", सम्यक प्रकाशन, पश्चिम पुरी नई दिल्ली। आई एस बी एन 9789395446471
- पलोड़ एवम् लाल, (2008) "शैक्षिक चिन्तन एवम् प्रयोग" विनय रखेजा प्रकाशन, आर लाल बुक डिपो मेरठ.
- वर्मा, दीनानाथ (2004),"मानव सभ्यता का विकास" ज्ञानदा प्रकाशन दरिया गंज, नई दिल्ली